

पत्रांक :— खा०प्र० 06 / जा०वि०प्र०दु०अनु०नि० / 03-02/2020-

(७)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

ULS
मिसी २

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
एन०आई०सी०, राँची।

३३ १५१२ एकाउडिओ
राँची, दिनांक - ०६.१२.२०२०
15.12.2020

विषय :-

जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुश्रवण/निरीक्षण का जाँच प्रतिवेदन
ऑनलाईन करने के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय अधिसूचना संख्या-3124, दिनांक 02.12.2020

780
15.12.2020

महोदय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में सूचित करना है कि उक्त अधिसूचना द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण अनुसूची/जाँच के बिन्दुओं की सूची को झारखण्ड लक्षण जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 में प्रपत्र-XI के रूप में अधिसूचित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अनुरोध है कि उक्त प्रपत्र- XI को ऑनलाईन करते हुए DSO Login/BSO Login में उपलब्ध करायी जाए ताकि दुकान का निरीक्षण हेतु जाँच के बिन्दुओं की इण्ट्री ऑनलाईन की जा सके।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः— यथोक्त।

हो/-
(राजेन्द्र चौधरी),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — खा०प्र० 06 / जा०वि०प्र०दु०अनु०नि० / 03-02/2020 ३१८० / राँची, दिनांक- ०७.१२.२०२०

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/श्रीमती शिवानी कोड़ाह, वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

07.12.2020
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या—06/06—जविप्र० (नीतिगत)—01/2017—खा०आ०—777, दिनांक 07.03.2019 के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 का गठन किया गया है।

2. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका—38 में यह प्रावधानित है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के सफल व सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु भविष्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इस आदेश के नीतिगत मामलों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा।

3. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका—32 (i) निम्नवत् है—

“विभाग उचित दर दुकानों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन मास में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जाँच के बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेगा।”

4. उपर्युक्त के आलोक में निरीक्षण अनुसूची/जाँच के बिन्दुओं की सूची को प्रपत्र-XI के रूप में अधिसूचित किया जाता है तथा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका—32 (i) के अंत में निम्न अंश जोड़ा जाता है—

“जाँच करने वाले सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-XI में जनवितरण प्रणाली दुकानों का अनुश्रवण/निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।”

5. उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह),

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक— खा०प्र०—06 / ज०विप्र०दु०अनु०नि० / 03—02 / 2020—३१२५ / राँची, दिनांक—२१२१०२०२०

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किया जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक— खा०प्र०—06 / ज०विप्र०दु०अनु०नि० / 03—02 / 2020—३१२५ / राँची, दिनांक—२१२१०२०२०

प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/महानिवंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशाल, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) धनबाद/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

प्रपत्र-XI

जनवितरण प्रणाली के अनुश्रवण/निरीक्षण से संबंधित जाँच प्रपत्र

पूर्व की जाँच की तिथि :—.....
 वर्तमान जाँच की तिथि :—..... समय:—.....

क्र० सं०	प्रश्नावली	उत्तर
1	जनवितरण प्रणाली दुकान/स्वयं सहायता समूह का नाम	
2	जनवितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञित संख्या	
3	जनवितरण प्रणाली दुकान चालू होने की तिथि	
4	जनवितरण प्रणाली दुकान का स्थल/पता	जनवितरण प्रणाली दुकान का स्थल Latitude — Longitude —
5	जनवितरण प्रणाली दुकान की चौहदी	पूरब — पश्चिम — उत्तर— दक्षिण—
6	जनवितरण प्रणाली दुकान संचालित करने वाले दुकानदार का नाम	नाम — आधार संख्या— मोबाइल संख्या— पंचायत—
7	जनवितरण प्रणाली दुकान के साथ सम्बद्ध गाँव/पंचायत/वार्ड का नाम	
8	संबंधित पंचायत के मुखिया/वार्ड पाषर्ड का नाम	नाम :— मोबाइल संख्या—
9	जनवितरण प्रणाली दुकान से संबंधित निगरानी समिति के सदस्यों की विवरणी	

10	जनवितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध राशन कार्ड की संख्या	अन्त्योदय कार्ड :- पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड :- हरा कार्ड :- सफेद कार्ड :- अन्नपूर्णा कार्ड :-
----	---	---

क्र० सं०	राशन कार्ड के प्रकार	आवंटन					
		गेहूँ	चावल	चीनी	नमक	किंतोल	अन्य
(क)	अंत्योदय राशन कार्ड						
(ख)	पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ राशन कार्ड						
(ग)	हरा राशन कार्ड						
(घ)	सफेद राशन कार्ड						
(ङ)	अन्नपूर्णा राशन कार्ड						
(च)	अन्य कोई						

क्र० सं०	वस्तु का नाम	निरीक्षण के दिन का भंडार पिंचंटल—किंग्राम	निरीक्षण के दिन की प्राप्ति	कुल	दर प्रति किलो / लीटर	प्रति कार्ड / इकाई देय मात्रा	अम्युवित
1	गेहूँ						
2	चावल						
3	चीनी						
4	नमक						
5	किं तोल						
6	अन्य						
7							
8							

क्र० सं०	प्रश्नावली	उत्तर
12	जनवितरण प्रणाली दुकान के खुलने का समय	
13	जनवितरण प्रणाली दुकान के बंद होने का समय	
14	जनवितरण प्रणाली दुकान में संधारित ई-पॉस की कार्यशैली आॅनलाईन / ऑफलाईन :- ई-पॉस का Serial Number :-	
15	अगर ई-पॉस ऑफलाईन मोड में है तो वहाँ नेटवर्क उपलब्ध है अथवा नहीं?	

16	ई-पॉस में पेपर रोल लगे होने से संबंधित सूचना							
17	जनवितरण प्रणाली दुकान में तेल के ड्रमों की संख्या							
18	तेल के ड्रम पर डीलर का नाम एवं अनुज्ञाप्ति संख्या वर्णित है, हाँ या नहीं? अगर नहीं है तो वर्णित नाम एवं अनुज्ञाप्ति संख्या	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>हाँ</td> <td>नहीं</td> </tr> <tr> <td colspan="2">अगर नहीं है तो</td> </tr> <tr> <td>नाम :-</td> <td>अनुज्ञाप्ति संख्या :-</td> </tr> </table>	हाँ	नहीं	अगर नहीं है तो		नाम :-	अनुज्ञाप्ति संख्या :-
हाँ	नहीं							
अगर नहीं है तो								
नाम :-	अनुज्ञाप्ति संख्या :-							

क्र० सं०	प्रश्नावली	हाँ / नहीं
19	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान का संचालन आवंटित व्यक्ति/संरथा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है?	
20	क्या उचित मूल्य की दुकान को किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/संरथा को हस्तांतरित अथवा किराये पर दे दिया गया है?	
21	क्या राशन कार्डधारकों की हकदारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है?	
22	क्या विक्रेता लाभुकों को वितरित की गई सामग्री का रसीद सुपुर्द की जा रही है?	
23	क्या राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इन्कार किया जा रहा है?	
24	क्या जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्ड संबंधित व्यक्ति को वापस नहीं किया जा रहा है?	
25	क्या राशनकार्डधारी को विक्रित की गई सामग्री को उचित मूल्य दुकान के परिसर में रखा जा रहा है?	
26	क्या राशन कार्ड अथवा वितरण/स्टॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज में फर्जी अभ्युक्ति अंकित की जा रही है?	
27	क्या जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा अपने ऑफलाईन वितरण/अपवाद पंजी से हुए वितरण का ऑनलाईन इंट्री अगले माह के प्रथम सात कार्य दिवस के अंदर कराया जा रहा है?	
28	क्या जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा अपने वितरण क्षेत्र के मृत कार्डधारी, विस्थापित कार्डधारी या वैसे कार्डधारी जो अपवर्जन मानक के अधीन है, उसकी सूचना समय-समय पर जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजते हैं?	

	क्या राशनकार्ड पंजी, वितरण पंजी, स्टॉक पंजी, मिलान पंजी, अपवाद पंजी आदि के पृष्ठ सत्यापित हैं? अगर हैं तो कब तक?	
29	राशनकार्ड पंजी : कुल पृष्ठ : सत्यापित पृष्ठ : दिनांक :	
	वितरण पंजी : कुल पृष्ठ : सत्यापित पृष्ठ : दिनांक :	
	स्टॉक पंजी : कुल पृष्ठ : सत्यापित पृष्ठ : दिनांक :	
	मिलान पंजी : कुल पृष्ठ : सत्यापित पृष्ठ : दिनांक :	
	अपवाद पंजी : कुल पृष्ठ : सत्यापित पृष्ठ : दिनांक :	
30	क्या जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है?	
31	क्या दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा के बावत शिकायतों के निष्पादन के लिए पदाधिकारी एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी इन सभी के नाम, पदनाम, पता एवं दूरभाष संख्या संप्रदर्शित किया जा रहा है?	
32	क्या दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग का पता एवं दूरभाष संख्या संप्रदर्शित किया जा रहा है?	
33	क्या "शिकायत—सह सुझाव पुस्तिका" दुकानदार के पास उपलब्ध है?	
34	क्या जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास राशन कार्डधारकों के पंजी, निर्गम, विक्रिय पंजियों, शिकायत—सह—सुझाव पुस्तिका का रख रखाव किया जा रहा है?	
35	क्या सामग्री उठावकर्ता को संबंधित रसीद उपलब्ध कराई जा रही है?	
36	क्या अनुज्ञापन पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्यावधि के दौरान दुकान बंद रखा जा रहा है?	
37	क्या ई—पॉस का उपयोग किए बिना अथवा अपवाद पंजी के बिना स्वेच्छापूर्वक खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है?	
38	क्या प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञिति धारक जो किसी बाट या माप का किसी संचयवाहार में या संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप का सत्यापन विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, वहाँ से सत्यापित है?	
39	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान में इलेक्ट्रॉनिक भार मापक यंत्र अधिष्ठापित है?	
40	क्या इलेक्ट्रॉनिक भार मापक यंत्र के द्वारा सामग्री को तौल कर उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जा रहा है?	
41	क्या जनवितरण प्रणाली दुकान में उचित संख्या में तेल के ड्रम की व्यवस्था की गई है?	
42	क्या तेल के ड्रम को पीला रंग से रंग कर एवं ड्रम पर डीलर का नाम एवं लाईरेंस संख्या काले रंग से अंकित किया गया है?	
43	क्या तेल के ड्रम को आर०सी०सी० छतयुक्त पक्का मकान में रखा गया है?	

44

क्या अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध कर यथा—दुकान के अंदर अग्निशामक यंत्र अथवा बाल्टी में बालू भर कर दुकान के बाहर टांगा गया है?

जनवितरण प्रणाली दुकानदार के पास उपलब्ध स्टॉक के सत्यापन की जाँच हेतु दुकान से सम्बद्ध 10 लाभुकों से भी पूछ—ताछ की जायेगी। इस हेतु 10 महिला लाभुकों का चयन निम्न तरीके से किया जायेगा :—

- क. 02 महिला अनुसूचित जनजाति से
- ख. 02 महिला अनुसूचित जाति से
- ग. 02 महिला पिछड़ा वर्ग से
- घ. 04 महिला सामान्य/अन्य वर्ग से

45

क्र० सं०	नाम	पति/पिता का नाम	आधार संख्या	मोबाइल संख्या	पता
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

इन महिला लाभुकों से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं :—

क्या जनवितरण प्रणाली दुकान नियमित रूप से खुली रहती है?

क्या जनवितरण प्रणाली दुकान द्वारा नियमित रूप से राशन दिया जाता है?

क्या जनवितरण प्रणाली दुकानदार का व्यवहार सही है?

क्या जनवितरण प्रणाली दुकान द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाता है?

क्या जनवितरण प्रणाली दुकान द्वारा ई-पॉस के उपयोग के उपरांत पावती रसीद उपलब्ध कराई जाती है?

46

दुकानदार की कोई शिकायत?

विवरणी —

दुकानदार का हस्ताक्षर

वार्ड पार्षद/मुखिया का हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर

मेरे द्वारा दिया गया है।